संख्या– 562 /XIII-1/2019–01(03)2002

प्रेषक,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक: 19 मार्च, 2019

विषयः– राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2019 में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों पत्रांक 13015/03/2016 क्रेडिट–II दिनांक 28 सितम्बर, 2018 द्वारा जारी संशोधित दिशा–निर्देश (जोकि भारत सरकार के पोर्टल पर https://pmfby.gov.in/guidelines अवलोकनीय है) के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को प्रदेश में खरीफ 2019 मौसम में लागू किये जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देशों एवं व्यवस्थाओं के अनुक्रम में दिनांक 12–02–2019 को आयोजित राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार फसल चावल तथा मण्डुवा के लिये कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई संस्तुति पत्रांक–कृ.नि./7942/कृ.सां./PMFBY/2019 दिनांक 05 मार्च, 2019 के आधार पर महामहिम राज्यपाल महोदय उक्त योजना को खरीफ 2019 मौसम में प्रदेश के समस्त जनपदों में फसल चावल को व मण्डुवा को प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में (गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. के माध्यम से लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रीमियम दर, क्षति का निर्धारण तथा विस्तृत विवरण दिशा–निर्देश संलग्नक–1 में तथा संसूचित क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट–1, 2 व 3 में इंगित किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है तथा प्रदेश में खरीफ, 2016 से चलायी जा रही है। दिनांक 12.02.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक में शासन स्तर पर की गई समीक्षा में पाया गया कि योजना की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है तथा आपके स्तर पर निम्न बिन्दुओं पर लगातार समीक्षा करने की आवश्यकता है–

1. प्रदेश के समस्त पात्र ऋणी कृषकों का शत प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित किया जाना है तथा योजना के प्राविधान के अनुसार अधिक से अधिक अऋणी कृषकों का आच्छादन सुनिश्चित किया जाना है। इस संबंध में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति तथा जिला स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा योजना की गहन समीक्षा की जाये एवं आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जायें।
2. योजना के कुशल क्रियान्वयन में जिला प्रशासन तथा जिला कृषि विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। योजना के अन्तर्गत पांच प्रकार से क्षतिपूर्ति निर्धारण करने की व्यवस्था है। पांचों प्रकार से क्षतिपूर्ति निर्धारण प्रक्रियाओं का किसानों में व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने की आवश्यकता है जिससे अधिक से अधिक कृषक योजना से आच्छादित एवं लाभान्वित हो सकें। संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण एवं जिला कृषि विभाग अधिक से अधिक कृषकों को योजना के अन्तर्गत आच्छादित करने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेंगे।

अतः आप योजना की प्रत्येक पक्ष विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक कृषकों का आच्छादन कराना सुनिश्चित करें तथा पाक्षिक रिपोर्ट उत्तराखण्ड शासन एवं कृषि निदेशक को उपलब्ध करायें।

संलग्नक–उक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

संख्याः 562 /XIII-1/2018–1(3) 2002 तदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, क्रेडिट–II, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2 निदेशक/सहायक निदेशक, क्रेडिट–II, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
3 अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4 सचिव, वित्त/राजस्व/सहकारिता उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
6 निबंधक सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।
7 निदेशक कृषि/उद्यान/मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड।
8 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9 अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमांऊ मण्डल, हल्द्वानी ।
10 समस्त अग्रणी बैंक प्रबंधक/ समस्त सहायक निबंधक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।
11 समस्त सचिव/महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।
12 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तेहरवीं मंजिल, अम्बाद्वीप बिल्डिंग, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली।
13 क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 56 राजपुर रोड, क्लासिक होटल के पीछे, देहरादून।
14 महाप्रबन्धक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, राजपुर रोड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि समय–समय पर वित्तीय संस्थाओं को योजना सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी कराने का कष्ट करें।
15 अध्यक्ष, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून।
16 उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार, डिफेंस कालोनी, सी–15, सेक्टर–1, देहरादून।
17 मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, होटल सनराईज, राजपुर रोड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि समय–समय पर योजना की समीक्षा करने का कष्ट करें साथ ही साथ नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धकों को योजना की क्रियाशीलता के लिए निर्देश जारी करें।
18 सहायक महाप्रबन्धक/संयोजक, उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जोनल कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, 1–न्यू कैंट रोड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि इस सम्बन्ध में सभी बैंको को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एवं नाबार्ड के दिशानिर्देशों के साथ पत्र जारी करते हुए योजना की समय–समय पर समीक्षा करने का कष्ट करें ।
19 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक/बैंक ऑफ बड़ौदा/ पंजाब नैशनल बैंक, केनरा बैंक, /इलाहाबाद बैंक /पंजाब एण्ड सिंध बैंक /ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स, उत्तराखण्ड।
20 समस्त बैंक नियंत्रक/समस्त वित्तीय संस्थाएं, उत्तराखण्ड।
21 निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत संसूचित क्षेत्रों की सूची, प्रीमियम दर तथा अन्य विवरण

प्रदेश में दो कलस्टर यथा गढ़वाल मण्डल तथा कुमाऊं मण्डल निर्धारित हैं। गढ़वाल मण्डल तथा कुमाऊं मण्डल में योजना का संचालन एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. के माध्यम से किया जायेगा। सभी वित्तीय संस्थानों का दायित्व है कि संसूचित क्षेत्रों (Notified Areas) में संसूचित फसल चावल तथा मण्डुवा के लिए ऋण वित्तमान के अनुसार अनिवार्य रूप से पात्र कृषकों का बीमा करें।

संसूचित क्षेत्रों (Notified Areas) में चावल तथा मण्डुवा की फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान निम्न आधार पर सम्मिलित माने जायेंगे:–

(क) अनिवार्य आधार पर (ऋणी किसान)– सभी किसान जो संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल चावल तथा मण्डुवा उगा रहे हैं और उन्हें वित्तीय संस्थानों जैसे सहकारी समितियों, व्यवसायिक, क्षेत्रीय ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों से मौसमी कृषि प्रचालन ऋण (संसूचित फसल चावल व मण्डुवा) हेतु ऋण की सीमा दिनांक 15/07/2019 तक स्वीकृत की गयी हो तथा कृषकों का ऋण खाता 01 अप्रैल, 2019 से 15 जुलाई, 2019 के मध्य क्रियाशील हो अथवा संबंधित अवधि में कृषक द्वारा संसूचित फसल के लिए नये के.सी.सी. के माध्यम से फसली ऋण लिया हो यथा ऋणी किसान अनिवार्य आधार पर आच्छादित किये जायेगें। पात्र कृषकों का प्रीमियम सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कट आफ डेट (before or upto 15.07.20.19) के भीतर डेबिट किया जाना अनिवार्य है।

(ख) स्वैच्छिक आधार पर (अऋणी किसान)– अऋणी कृषकों के लिए वित्तीय संस्थानों/इंश्योरेंस कम्पनी के अधिकृत बीमा इन्टरमिडियरीज/सीधे तौर पर बीमा कम्पनी के कार्यालय/संबंधित क्षेत्र में स्थित कॉमन सर्विस सेन्टर को प्रस्ताव पत्र प्रीमियम सहित प्रस्तुत करने कि अंतिम तिथि 15/07/2019 तक है। इस श्रेणी के कृषक योजना में सम्मिलित होने के लिए स्वप्रमाणित भू–अभिलेख के साथ बीमा प्रस्ताव पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र के साथ संसूचित फसल का बीमा आवरण प्राप्त करेगें। बीमा कम्पनी स्वप्रमाणित भू–अभिलेख का मिलान देवभूमि उत्तराखण्ड के आनलाइन रिकार्डस ऑफ राइट्स से सत्यापित कर सकती है।

(ग) बीमित राशि– ऋणी और गैर ऋणी कृषकों के लिये बीमा राशि प्रति हेक्टेयर संसूचित फसल के जिलेवार ऋण वित्तमान (तालिका 1 व तालिका 2) के अनुसार होगी। ऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि ऋण वित्तमान को संसूचित फसल के क्षेत्रफल से गुणा करके निर्धारित की जायेगी तथा गैर ऋणी कृषकों की बीमित राशि सम्बन्धित कृषक द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रफल को ऋण वित्तमान से गुणा करके बीमित राशि निकालकर आच्छादन किया जायेगा।

2 खरीफ 2019 में योजना जिन क्षेत्रों में संचालित की जायेगी से सम्बन्धित संसूचित क्षेत्रों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–1, परिशिष्ट–2 तथा परिशिष्ट–3 में दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल चावल (मैदानी) के लिए क्षतिपूर्ति स्तर, बीमांकिक प्रीमियम दर, कृषकों द्वारा देय प्रीमियम, प्रीमियम सब्सिडी में राज्यांश एवं केन्द्रांश तालिका 1 में एवं पर्वतीय क्षेत्रों हेतु फसल चावल (पर्वतीय) व मण्डुवा के लिए क्षतिपूर्ति स्तर, बीमांकिक प्रीमियम दर, कृषकों द्वारा देय प्रीमियम, प्रीमियम सब्सिडी में राज्यांश एवं केन्द्रांश तालिका 2 में निम्नानुसार दिये गये हैं:

तालिका–1

फसल– चावल (मैदानी) इण्डेमिनिटी स्तर–90%

क्र. सं.	जनपद	बीमांकिक प्रीमियम दर प्रतिशत में	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर प्रतिशत में	प्रीमियम सब्सिडी प्रतिशत में		बीमित राशि (रूपये/हे.)
				केन्द्रांश	राज्यांश	
गढ़वाल मण्डल क्लस्टर						
1	देहरादून(मै0)	3.500	2.000	0.750	0.750	68500
2	हरिद्वार	5.200	2.000	1.600	1.600	85800
कुमायूं मण्डल क्लस्टर						
3	नैनीताल(मै0)	2.500	2.000	0.250	0.250	75000
4	ऊधमसिंहनगर	1.650	1.650	0.000	0.000	79000

तालिका–2

फसल–चावल (पर्वतीय) इण्डेमिनिटी स्तर–90%

क्र. सं.	जनपद	बीमांकिक प्रीमियम दर प्रतिशत में	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर प्रतिशत में	प्रीमियम सब्सिडी प्रतिशत में		बीमित राशि (रूपये/हे.)
				केन्द्रांश	राज्यांश	
	गढ़वाल मण्डल क्लस्टर					
1	चमोली	2.00	2.000	0.000	0.000	43663
2	देहरादून(पर्व)	2.00	2.000	0.000	0.000	68500
3	पौड़ी गढ़वाल	3.00	2.000	0.500	0.500	42000
4	रूद्रप्रयाग	1.50	1.500	0.000	0.000	44400
5	टिहरी गढ़वाल	5.00	2.000	1.500	1.500	40000
6	उत्तरकाशी	3.00	2.000	0.500	0.500	76103
	कुमायूं मण्डल क्लस्टर					
7	अल्मोड़ा	2.00	2.000	0.000	0.000	48570
8	बागेश्वर	1.00	1.000	0.000	0.000	41750
9	चम्पावत	1.00	1.000	0.000	0.000	50563
10	नैनीताल(पर्व0)	1.10	1.100	0.000	0.000	72750
11	पिथौरागढ़	1.00	1.000	0.000	0.000	42777

फसल– मण्डुवा इण्डेमिनिटी स्तर–90%

	गढ़वाल मण्डल क्लस्टर					
1	चमोली	2.00	2.000	0.000	0.000	23500
2	देहरादून(पर्व)	4.00	2.000	1.000	1.000	28300
3	पौड़ी गढ़वाल	2.00	2.000	0.000	0.000	27500
4	रूद्रप्रयाग	2.00	2.000	0.000	0.000	24000
5	टिहरी गढ़वाल	2.00	2.000	0.000	0.000	40000
6	उत्तरकाशी	2.00	2.000	0.000	0.000	37163
	कुमायूं मण्डल क्लस्टर					
7	अल्मोड़ा	1.00	1.000	0.000	0.000	29153
8	बागेश्वर	1.10	1.100	0.000	0.000	19700
9	चम्पावत	1.00	1.000	0.000	0.000	40335
10	नैनीताल(पर्व0)	1.10	1.100	0.000	0.000	42325
11	पिथौरागढ़	1.00	1.000	0.000	0.000	44285

3.वित्तीय संस्थानों द्वारा बीमा शुल्कों (प्रीमियम) का प्रेषण तथा आच्छादित कृषकों का विवरण पोर्टल पर अपलोड किये जानाः सभी वित्तीय संस्थाएं आच्छादित कृषकों (ऋणी तथा अऋणी) का बीमा शुल्क (प्रीमियम की धनराशि) केवल इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से ही संबंधित क्रियान्वयक अभिकरण के खाते में निर्धारित तिथि 31.07.2019 के पूर्व अथवा तक RTGS/NEFT के माध्यम से इस्तांतरित/ट्रांसफर करेगी। वित्तीय संस्थाओं द्वारा आच्छादित कृषकों का विवरण (ऋणी तथा अऋणी) जिनके परिपेक्ष्य में प्रीमियम क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषित किया गया है, को निर्धारित तिथि 31.07.2019 तक भारत सरकार के पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगी। ***नेशनल क्राप इंश्योरेंस पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर अपलोडेड कृषक ही बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित माने जायेंगे तथा इसी के अनुसार केन्द्रांश व राज्यांश सरकार द्वारा नियमानुसार जारी किया जायेगा।***

RTGS/NEFT करने के लिए गढ़वाल मण्डल तथा कुमायूं मण्डल में क्रियान्वित अभिकरण एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. (ए.आई.सी.) के RTGS/NEFT की सूचना निम्नानुसार है–

क्रियान्वयक अभिकरण	बैंक का नाम	बैंक अकाउंट नम्बर तथा IFSC कोड	पता
1. एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. (ए.आई.सी.)	एक्सिस बैंक लिमिटेड	093010200004992 IFSC कोड UTIB0000093	राजपुर रोड, देहरादून।

क्रियान्वयक अभिकरण से जानकारी/पत्राचार हेतु सूचना निम्नानुसार है:–

क्रियान्वयक अभिकरण	पत्राचार का पता	मोबाइल नम्बर/ फैक्स नम्बर	ई.मेल
1. एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. (ए.आई.सी.)	डॉ एस. प्रसाद, क्षेत्रीय प्रबन्धक, ए. आई.सी, क्षेत्रीय कार्यालय, 56 राजपुर रोड, क्लासिक होटल के पीछे, देहरादून।	9411393141 0135-2740233 0135-2740244	ro.dehradun@aicofindia.com

4. क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया:–

(अ) **फसल पैदावार के आधार पर/व्यापक आपदा के मामले में (क्षेत्र आधारित):** व्यापक आधार पर आयी प्राकृतिक आपदा सूखा, सूखे की अवधि, जलप्लावन, व्यापक आधार पर कीट एवं व्याधियों का प्रभाव, भूस्खलन, प्राकृतिक आग, बिजली गिरने से लगने वाली प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण संबंधित बीमा इकाई क्षेत्र में फसल की उपज में कमी होने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति देय होगी। राज्य सरकार फसल पैदावार के अनुमान के लिये अधिसूचित बीमा एककों में अधिसूचित फसल के लिये फसल कटाई प्रयोगों की अपेक्षित संख्या नियोजित तथा आयोजित करेगी। राज्य सरकार फसल उत्पादन अनुमानों (General Crop Estimation Surveys- GCES) तथा फसल बीमा दोनों के लिये फसल कटाई प्रयोगों तथा परिणामात्मक पैदावार अनुमानों की एकल श्रृंखला तैयार करेगी। फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर नियमानुसार अन्तिम क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

(ब) **फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण (क्षेत्र आधारित):** फसल की अवधि (Crop Duration) में कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, लम्बी सूखे की दशा, भंयकर सूखा आदि होता है तो सम्भावित क्षतिपूर्ति का 25% तक दावा भुगतान मौसम के दौरान किया जा सकता है यदि संसूचित क्षेत्र में अनुमानित उपज थ्रेसहोल्ड उपज के 50% से कम है। इस तरह की क्षतिपूर्ति का भुगतान सम्बन्धित राज्य सरकार (राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग) एवं बीमा कम्पनी मिलकर सर्वेक्षण कर निर्धारित करेंगी। इसके अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा नुकसान की प्राथमिक रिपोर्ट (संसूचित क्षेत्र में फसलवार नुकसान का विवरण सहित) शासन को उक्त प्राविधान लागू करने हेतु शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया जायेगा। क्षति सम्बन्धी अधिसूचना/शासनादेश जारी होने के पश्चात बीमा कम्पनी, राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग क्षेत्र का भ्रमण कर संयुक्त रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसके आधार पर सम्बन्धित संसूचित क्षेत्र के कृषकों को सम्भावित क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत तक का भुगतान क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा किया जायेगा। मध्यावधि क्षतिपूर्ति भुगतान राशि, अन्तिम उपज आधारित क्षतिपूर्ति राशि के साथ समायोजित की जायेगी। यदि उक्त स्थिति सामान्य फसल कटाई अवधि (क्राप कैलेण्डर के अनुसार) के 15 दिन के पूर्व तक होती है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी। इस तरह की क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े, उपग्रह चित्रण अथवा अन्य प्रॉक्सी संकेतों आदि को आधार माना जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर मौसम के आंकड़ों के लिए भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग के उपलब्ध मौसम केन्द्रों से प्राप्त जिलेवार मौसम के आंकड़ों का उपयोग किया जायेगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा। जिलास्तर पर क्षतिपूर्ति निर्धारण D L J C- District level joint committee द्वारा योजना के प्राविधान के अनुसार किया जायेगा।

स) **बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति/बुवाई का फेल हो जाना** (Prevented Sowing/Sowing Failure) **(क्षेत्र आधारित):** अल्पवृष्टि/अतिवृष्टि अथवा अन्य मौसम कारकों के विपरीत प्रभाव के कारण बुवाई न हो पाने की स्थिति में बीमा राशि का अधिकतम 25% तक का दावा भुगतान किया जा सकता है यदि किसी

संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल की बुवाई की जाने वाले क्षेत्रफल में से 75 प्रतिशत क्षेत्रफल पर बुवाई नहीं होती है। जनपद में राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के प्राथमिक अधिकारी संसूचित क्षेत्रवार एवं फसलवार बुवाई फेल होने की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जायेगी तत्पश्चात शासन द्वारा क्षति सम्बन्धी अधिसूचना के पश्चात योजना के प्राविधान के अनुसार क्षतिपूर्ति का निर्धारण एवं वितरण किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर मौसम के आंकड़ों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के जिलेवार उपलब्ध मौसम केन्द्रों के आंकड़ों का उपयोग किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत दावा भुगतान के पश्चात् सम्बन्धित इकाई क्षेत्र में किसान उपज आधारित दावा के लिए पात्र नहीं होंगें। उक्त स्थिति यदि 31 जुलाई तक होती है तो उपरोक्त प्राविधान को लागू किया जायेगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा। जिलास्तर पर क्षतिपूर्ति निर्धारण D L J C - District level joint committee द्वारा योजना के प्राविधान के अनुसार किया जायेगा।

(द) **स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति का आकलन:** स्थानीय जोखिमों यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन (केवल फसल मण्डुवा हेतु, फसल धान के लिए लागू नहीं है), बादल फटना तथा बिजली गिरने से लगने वाली प्राकृतिक आग के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। इन स्थानिक जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था/ क्रियान्वयक अभिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि विभाग को तत्काल और अनिवार्य रूप से 72 घन्टे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। हानि सम्बन्धी सूचना मिलने पर क्रियान्वयक अभिकरण फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक/प्रतिनिधि (Technical Personnel of the Company) को भेजेगी। जनपद में राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के प्राथमिक अधिकारी फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में क्रियान्वयक अभिकरण की सहायता करेगा। यदि संबंधित संसूचित क्षेत्र में बीमित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र संसूचित फसल के अन्तर्गत प्रभावित होता है तो उस संसूचित क्षेत्र के सभी प्रभावित बीमित कृषक वित्तीय सहायता के लिये पात्र माने जायेंगे जिनके द्वारा निश्चित अवधि में फसल नुकसान होने की सूचना दी गयी है। संबंधित संसूचित क्षेत्र में बीमित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है, के संबंध में निर्धारण कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर निश्चित किया जायेगा। जिसके क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सूचना जारी की जायेगी तत्पश्चात नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस परिपेक्ष्य में संयुक्त समिति द्वारा सैम्पल सर्वे करके हानि प्रतिशत का निर्धारण किया जायेगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा। यदि उक्त स्थिति सामान्य फसल कटाई (क्राप कैलेण्डर के अनुसार) के 15 दिन पूर्व होती है तो उपरोक्त प्राविधान लागू नहीं होगा।

(य) **फसल कटाई के उपरान्त खेत में सुखाने के लिये बिखेर कर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण** (Post Harvest Losses): प्राकृतिक आपदायें यथा चक्रवात, चक्रवाती बारिश तथा बैमौसमी बारिश एवं ओलावृष्टि के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसस से क्षति सम्बन्धी आंकलन व्यक्तिगत आधार पर सभी जनपदों में किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत, यदि कटी हुई फसल खेत में अधिकतम 14 दिन तक सूखने के लिए बिखेर कर रखी जाती है तथा इस अवधि में उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। इन जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था/क्रियान्वयक अभिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि विभाग को तत्काल एवं अनिवार्य रूप से 72 घन्टे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। हानि सम्बन्धी सूचना मिलने पर क्रियान्वयक अभिकरण फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक/प्रतिनिधि को भेजेगी। जनपद में राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के प्राथमिक अधिकारी फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में क्रियान्वयक अभिकरण की सहायता करेगा। यदि संबंधित

संसूचित क्षेत्र में बीमित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र संसूचित फसल के अन्तर्गत प्रभावित होता है तो उस संसूचित क्षेत्र के सभी प्रभावित बीमित कृषक वित्तीय सहायता के लिये पात्र माने जायेंगे जिनके द्वारा निश्चित अवधि में फसल नुकसान होने की सूचना दी गयी है। संबंधित संसूचित क्षेत्र में बीमित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है, के संबंध में निर्धारण कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर निश्चित किया जायेगा। जिसके क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सूचना जारी की जायेगी तत्पश्चात नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस परिपेक्ष्य में संयुक्त समिति द्वारा सैम्पल सर्वे करके हानि प्रतिशत का निर्धारण किया जायेगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा।

5. क्रियान्वयन अभिकरणों से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होने के पश्चात वित्तीय संस्थानों द्वारा एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित धनराशि कृषकों के खातों में क्रेडिट करते हुए लाभान्वित कृषकों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी तथा जिसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ 15 दिनों के अन्दर हार्ड एव सॉफ्ट कॉपी में बीमा कम्पनी को प्रेषित करेगे। क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि का वितरण कृषकों को सीधे उनके संबंधित खाते में निर्गत करने का प्रयास किया जायेगा।
6. वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रेषित कुल प्रीमियम (Farmer's Share) पर 4.0% की दर से सेवा शुल्क का भुगतान क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
7. जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति (जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य कृषि अधिकारी सदस्य सचिव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, जिला सहकारी बैंक, जिला अग्रणी बैंक, सहायक निबंधक सहकारिता तथा क्रियान्वयक अभिकरण के प्रतिनिधि सदस्य नामित किये गये हैं) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पाक्षिक/मासिक प्रगति की संसूचित क्षेत्रवार विस्तृत समीक्षा करेगी तथा योजना में अधिक से अधिक कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करेगी। फसल की स्थिति, बैंकों द्वारा बीमा आच्छादन तथा फसली ऋण की स्थिति पर पाक्षिक/मासिक प्रगति समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट उत्तराखण्ड शासन तथा प्रतिलिपि कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करेगी और यह समिति खण्ड विकास अधिकारियों एवं बहुद्देशीय कर्मियों की इस योजना में पूरी सहभागिता हेतु प्रभावी निर्देश निर्गत करेगी। योजना के प्राविधान के अनुसार जिलास्तर पर डी.जी.आर.सी. समिति गठित की जाती है जो कि नियमानुसार कार्य करेगी।
8. जिलाधिकारी राजस्व विभाग के प्राथमिक कर्मचारियों के माध्यम से क्राप–कटिंग के प्रयोगों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करायेंगे तथा इस संदर्भ में जिला स्तर पर क्राप–कटिंग की समय समय पर समीक्षा भी करेंगे। संसूचित फसल के समस्त क्राप कटिंग प्रयोगों का डाटा पूर्व निर्धारित रूपपत्रों पर कृषि निदेशालय को प्रेषित करने के साथ–साथ अनिवार्य रूप से "CCE-Agri" App के माध्यम से भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
9. खरीफ 2019 में कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा संसूचित फसल (चावल तथा मण्डुवा) के क्राप कटिंग पर आधारित उत्पादकता के आंकड़े क्रियान्वयक अभिकरण को 15 जनवरी, 2020 तक उपलब्ध कराये जायेंगे।
10. भारत सरकार के पत्रांक 11018/01/2015 क्रेडिट II दिनांक 06 मार्च 2017 द्वारा डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के संबंध में भारत सरकार के असाधारण राजपत्र अधिसूचना 08 फरवरी, 2017 के अनुसार योजना में आच्छादित होने वाले समस्त कृषकों को आधार नम्बर फसली ऋण बैंक खाते में लिंक करना अनिवार्य होगा, के क्रम में एस.एल.बी.सी. समस्त बैंकों को बीमित कृषकों को आधार नम्बर से लिंक करने व डाटा आनलाइन करने हेतु निर्देश जारी करेंगे। सभी बीमित कृषकों का आधार नम्बर अनिवार्य है।
11. भारतीय रिज़र्व बैंक/नाबार्ड द्वारा योजना के संबंध में जारी दिशा–निर्देश के क्रम में इस योजनान्तर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिसूचित फसलों हेतु ऋण लेने वाले समस्त कृषकों को अनिवार्य रूप से आच्छादित किया जायेगा। अतः वित्तीय संस्थाओं द्वारा उक्त दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. राज्य सरकार एवं क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा अधिसूचना से संबंधित सभी सूचनायें www.pmfby.gov.in में निश्चित समयावधि में अपलोड किया जायेगा। क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा समयानुसार प्रीमियम प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के दो माह के भीतर आच्छादित कृषकों के अभिलेखों, यदि आवश्यक हाक, की जांच कार्य कर लिया जायेगा।

13. क्रियान्वयक अभिकरण के प्रतिनिधियों को फसल कटाई प्रयोगों में सहभागिता एवं इस तरह के प्रयोगो के स्थलीय निरीक्षण तथा प्रारूपों को देखने हेतु अनुमति होगी। इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा एक सप्ताह पूर्व संसूचित फसलों के क्राप कटिंग प्रयोगों की संभावित तिथियों की सूचना क्रियान्वयक अभिकरण एवं कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

14. योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कियान्वयन अभिकरण द्वारा समस्त जनपदों के बैंकों में रैण्डम आधार पर फसल ऋण वितरण, बीमा आच्छादन, बीमित राशि, प्रीमियम की धनराशि एवं क्षतिपूर्ति वितरण के संबंध में सत्यापन कार्य करेगी तथा सूचना कृषि निदेशालय/शासन को प्रेषित करेगी। इसके साथ ही प्रत्येक माह संसूचित क्षेत्रवार बीमित कृषकों का विवरण बीमित धनराशि आदि की सूचना निर्धारित रूपपत्रों पर कृषि निदेशक, मुख्य कृषि अधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

15. राज्य में जिलेवार उपलब्ध भारतीय मौसम विभाग के मौसम केन्द्र/कृषि संस्थानों एवं अन्य सरकारी विभाग के मौसम केन्द्र जिनके आंकड़े (प्राथमिक तौर पर वर्षा के आंकड़े) Mid Season Adversity एव Sowing Failure के परिपेक्ष्य में क्षतिपूर्ति निर्धारण करने के लिए प्रॉक्सी इन्डीकेटर के रूप में उपयोग किये जायेंगे। यदि सन्दर्भित मौसम केन्द्रो से आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते है तो बैक–अप मौसम केन्द्रो के आंकड़ो का उपयोग किया जायेगा। किन्हीं कारणवश यदि बैकअप मौसम केन्द्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अन्य नजदीकि मौसम केन्द्र के आंकड़े कृषि विभाग की सहमति से उपयोग में लाये जायेंगे। सन्दर्मित मौसम केन्द्र तथा बैक–अप मौसम केन्द्र क्रमशः जनपद अल्मोड़ा के लिए– आई.एम.डी. ए.डब्लू.एस. मटेला, वी.पी.के.ए.स. हवालबाग, जनपद बागेश्वर के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. कपकोट, वी.पी.के.ए.स. हवालबाग, जनपद पिथौरागढ़ के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. पिथौरागढ़, आई.एम.डी.ए. डब्लू.एस. मुनस्यारी, जनपद चम्पावत के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. चम्पावत, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. पिथौरागढ़, जनपद नैनीताल पर्वतीय के लिए– आई.एम.डी. मुक्तेश्वर, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. नैनीताल, नैनीताल मैदानी के लिए– आई.एम.डी. पंतनगर, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूद्रपुर, आई.एम.डी. पंतनगर, जनपद देहरादून पर्वतीय के लिए आई. एम.डी.ए.डब्लू.एस. त्यूनी, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. पुरोला, जनपद देहरादून मैदानी के लिए– आई.एम.डी.ए. डब्लू.एस. जौलीग्रान्ट, आई.एम.डी. देहरादून, जनपद हरिद्वार के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूड़की, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. धनौरी, पौड़ी गढ़वाल के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. भरसार, आई.एम.डी.ए. डब्लू.एस. रूद्रप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूद्रप्रयाग, आई.एम.डी.ए.डब्लू. एस. भरसार, जनपद चमोली के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. चमोली, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. जोशीमत, जनपद टिहरी गढ़वाल के लिए– आई.एम.डी. न्यू टिहरी, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रानीचौरी तथा जनपद उत्तरकाशी के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. उत्तरकाशी, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. पुरोला हैं।

परिशिष्ट–1

उत्तराखण्ड के मैदानी जनपदों में मौसम खरीफ 2019 में फसल चावल (मैदानी) हेतु संसूचित क्षेत्र

जनपद	क0 सं0	न्याय पंचायत का नाम
देहरादून	1	धर्मावाला+झाझरा
	2	आमवाला+सभावाला + पण्डितवाडी
	3	एनफील्डग्रान्ट
	4	लाधा+सोरना
	5	रामपुर भाउवाला + सहसपुर
	6	थानी
	7	भगवन्तपुर + सरौना +अजबपुर खुर्द+ नगरनिगम देहरादून कोड (998024)
	8	गुजराडा मान सिंह + सेवलाकला+मियांवाला
	9	श्यामपुर
	10	भानियावाला
	11	रानीपोखरीग्रान्ट
	12	मारखमग्रान्ट +शयपुर + नगरनिगम देहरादून कोड (998023)
हरिद्वार	1	भौरी + दौलतपुर
	2	खाताखेडी + नन्हेडा अनन्तपुर
	3	बेलडा + खजरपुर + नगर निगम रूड़की
	4	ताशीपुर + पनियाला चन्दापुर
	5	ईमलीखेडा धर्मपूर
	6	भगवानपुर
	7	अकौढा औरगजेबपुर
	8	मुण्डाखेडाकला
	9	भीकमपुर जीतपुर + रायसी
	10	सुल्तानपुर आदमपुर
	11	निरंजनपुर
	12	बहादुरपुरखादर
	13	मौ.पुर बुजुर्ग
	14	खानपुर + पोडोवाली
	15	गोरधनपुर
	16	लिब्बरहेडी +नगरपालिका परिषद मंगलौर
	17	मुन्डलाना
	18	ढन्ढेरा
	19	राजपुर मुस्तफाबाद उर्फ गाधोरेना
	20	लाठरदेवाहूण + मख्दूमपुर
	21	मौ0पुर जट + कल्याणपुर उर्फ नारसनकला+ नगरपंचायत नारसन
	22	कोटामुरादनगर+औरगाबाद
	23	रणसुरा
	24	जमालपुरकला + नगर निगम हरिद्वार
	25	सलेमपुरमहदूद + बहादराबाद + नगरपंचायत शिवालिक नगर
	26	बादशाहपुर शेरपुर भट्टीपुर
	27	फेरूपुर रामखेडा
	28	लालढाग

जनपद	क्र0 सं0	न्याय पंचायत का नाम
हरिद्वार	29	चुडियाला मोहनपुर
	30	भलस्वागाज
	31	डाडाजलापुर + हबीबपुरनवादा
	32	सिकन्दरपुर भैंसवाला + चौली शाहबुदीनपुर
	33	खेड़ीसिकोहपुर + नौकराग्रान्ट
नैनीताल	1	कालाढूंगी + नगर पंचायत कालाढूंगी
	2	बैलपडाव
	3	गिन्तिगांव
	4	बमौरी + नगर निगम हल्द्वानी
	5	कुंवरपुर
	6	लाखनमण्डी
	7	हरीपुर बची
	8	देवलचौड़
	9	गुनीपुर जीवानन्द
	10	छोई
	11	चिल्किया
	12	सांवल्दे
	13	जोगीपुरा
ऊधसिंहनगर	1	खेतलसंडाखाम
	2	बन्डिया
	3	झनकट
	4	विगराबाग
	5	सिसौना
	6	कल्यानपुर
	7	नानकमत्ता
	8	बिरिया
	9	बिगवाडा + नारायणपुर + पंतनगर युनिवर्सिटी+ स्टेट फार्म+ रूद्रपुर
	10	दरऊ + बण्डिया
	11	बरा
	12	आनन्दखेड़ा
	13	बराखेड़ा
	14	गोविन्दपुर
	15	सरकड़ी + सरकड़ा
	16	बरहनी
	17	चकरपुर
	18	कुण्डेश्वरी
	19	खडकपुर
	20	बांसखेड़ा+ नगरनिगम काशीपुर
	21	पूरनपुर + महुवाडाबरा
	22	मेघावाला
	23	अहमदनगर
	24	भरतपुर

परिशिष्ट–2

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में खरीफ 2019 फसल धावल (पर्वतीय) हेतु संसूचित क्षेत्र

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	संसूचित क्षेत्र
1	चमोली	1	चमोली + जोशीमठ
		2	पोखरी+घाट+जिलासू
		3	कर्णप्रयाग + नन्दप्रयाग
		4	थराली+नारायणबगढ़+देवाल (उपतह0)
		5	गैरसैंण+आदिबद्री
2	देहरादून (पर्व0)	1	त्यूणी+ चकराता
		2	कालसी
3	पौड़ी गढ़वाल	1	पौड़ी + श्रीनगर
		2	थलीसैंण+चाकीसैंण
		3	लैंसडौन +जाखणीखाल+रिखणीखाल
		4	सतपुली+चौबट्टाखाल
		5	धुमाकोट+बीरोंखाल
		6	कोटद्वार
		7	यमकेश्वर
4	रूद्रप्रयाग	1	ऊखीमठ+बसुकेदार
		2	जखोली
		3	रुद्रप्रयाग
5	टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्रनगर + पावकी देवी (उपतह0)
		2	गजा
		3	टिहरी+काण्डीसौड़
		4	घनसाली+बालगंगा
		5	जाखणीधार
		6	धनोल्टी+नैनबाग
		7	देवप्रयाग+कीर्तिनगर
		8	प्रतापनगर+मदननेगी (उपतह0)
6	उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी+जोशियाड़ा (उपतह0)
		2	डुण्डा+धौंतरी (उपतह0)
		3	चिन्यालीसौड़
		4	बड़कोट (राजगढ़ी) + बनीगाड़ (उपतह.)
		5	पुरोला+मोरी+सांकरी (उपतह.)

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	संसूचित क्षेत्र
7	अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा
		2	स्याल्दे
		3	सोमेश्वर + धौलछीना
		4	भिकियासैण +सल्ट खुमाड़ + मछोड़ (उपतह0)
		5	भनोली + ध्याड़ी (उपतह0)
		6	जैती+लमगड़ा (उपतह0)
		7	रानीखेत
		8	चौखुटिया
		9	द्वारहाट+ जालली (उपतह0)+ बग्वालीपोखर (उपतह0)
8	बागेश्वर	1	बागेश्वर+दुकनाकुरी
		2	गरूड़+कापकोटगैर
		3	कपकोट+काण्डा+शामा (उपतह0)
9	चम्पावत	1	चम्पावत+पूर्णागिरी+मंच (उपतह0)
		2	लोहाघाट + पुल्लागुमदेश (उपतह0)
		3	पाटी+बाराकोट
10	नैनीताल(पर्व0)	1	नैनीताल + रामगढ़(उपतह0)
		2	धारी+ओखलकाण्डा
		3	बेतालघाट+कोश्याकुटोली
11	पिथौरागढ़	1	पिथौरागढ़
		2	गंगोलीहाट+मणाईगंगोली
		3	डीडीहाट
		4	कनालीछीना+देवलथल
		5	मुनस्यारी+बंगापानी+तेजम
		6	धारचूला+बेरीनाग+थल+पांखू (उपतह0)

परिशिष्ट–3

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में खरीफ 2019 फसल मण्डुवा हेतु संसूचित क्षेत्र

क्र.सं.	जनपद	संसूचित क्षेत्र
1	चमोली	चमोली+जोशीमठ+पोखरी+घाट +जिलासू
		कर्णप्रयाग+गैरसैंण +आदिबद्री +नन्दप्रयाग
		थराली+नारायणबगढ़+देवाल(उपतह0)
2	देहरादून (पर्व0)	त्यूणी+ चकराता
		कालसी
3	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी + श्रीनगर
		थलीसैंण + चाकीसैंण
		लैंसडौन+जाखणीखाल+रिखणीखाल (उपतह0)
		सतपुली + चौबट्टाखाल
		धुमाकोट + बीरोंखाल
		कोटद्वार
		यमकेश्वर
4	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ + बसूकेदार
		जखोली
		रूद्रप्रयाग
5	टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर+गजा+पावकीदेवी (उपतह0)
		घनसाली + बालगंगा
		जाखणीधार
		धनोल्टी +नैनबाग
		टिहरी + काण्डीसौड़
		देवप्रयाग + कीर्तिनगर
		प्रतापनगर + मदननेगी (उपतह.)
6	उत्तरकाशी	भटवाड़ी +जोशियाड़ा (उपतह0)
		डुण्डा + धौंतरी(उपतह0)
		चिन्यालीसौड़
		राजगढ़ी (बड़कोट) + बनौंगाड़ (उपतह.)
		पुरोला+मोरी + सांकरी (उपतह.)
7	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा+सोमेश्वर + धौलछीना
		जैंती+भनोली + लमगड़ा (उपतह0) + ध्याड़ी (उपतह.)
		रानीखेत+द्वाराहाट+चौखुटिया +जालली (उपतह.) +बग्वालीपोखर(उपतह.)
		भिकियासैंण + स्याल्दे
		सल्ट खुमाड़+मछोड़ (उपतह0)
8	बागेश्वर	बागेश्वर+गरूड़ +कांफलीगैर + दुकनाकुरी
		कपकोट+कांण्डा+शामा (उपतह0)
9	चम्पावत	चम्पावत+पूर्णागिरी+मंच (उपतह0)+पुल्लागुमदेश (उपतह0)
		लोहाघाट+पाटी +बारकोट
10	नैनीताल (पर्व0)	बेतालघाट+कोश्याकुटोली
		नैनीताल + रामगढ़ (उपतह.)
		धारी + ओखलकाण्डा (उपतह.)
11	पिथौरागढ़	मुनस्यारी + बंगापानी + तेजम
		धारचूला+बेरीनाग+थल+पांखू (उपतह0)
		डीडीहाट+कनालीछीना+देवलथल
		पिथौरागढ़
		गंगोलीहाट + गणाई/गंगोली